(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 08/2020/अपील

उनवान

1. गीताबाई पत्नि बालचन्द जाति दांगी निवासी चवण्डिया तहसील रायपुर

बनाम

1. धापूबाई पत्नि मुकन्दलाल जाति दांगी निवासी चवण्डिया तहसील रायपुर
2. सरपंच ग्राम पंचायत माथनिया पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल
3. राज सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर
4. कंचनबाई पत्नि नृसिंहलाल जाति दांगी निवासी चवण्डिया तहसील रायपुर
5. बालू पि. पन्ना जाति दांगी निवासी चवण्डिया तहसील रायपुर
6. मुकन्दलाल पि. पन्ना जाति दांगी निवासी चवण्डिया तहसील रायपुर
7. मनोहरलाल पि. धन्ना जाति दांगी निवासी चवण्डिया तहसील रायपुर

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 21.11.2005
नामा0सं. 959 ग्राम पंचायत माथनिया

आदेश **दिनांक :**

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत माथनिया द्वारा निर्णित नामा.सं. 959 दिनांक 21.11.2005 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चवण्डिया पटवार मण्डल माथनिया की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 357 की आराजी ख.नं. 1072 रकबा 1.06239 हेक्टर भूमि जो वर्तमान में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के खाते दर्ज है।

वादग्रस्त आराजी को तत्कालीन खातेदार धन्ना पि. भेरू जाति दांगी निवासी चवण्डिया ने दिनांक 24.08.2005 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा क्रेता अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 को 1/2 हिस्से का 1/3 अर्थात 1/6 हिस्सा बेचान किया था जिसका बयनामा उपपंजीयक सुनेल में तस्दीक किया गया था लेकिन ग्राम पंचायत माथनिया द्वारा नामा.सं. 959 दिनांक 21.11.2005 को तस्दीक किया तो उसमें अकेली एक ही क्रेता धापूबाई रेस्पोडेट सं. 1 के नाम सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा तस्दीक कर दिया जबकि वास्तव में धापूबाई को 1/12 एवं अपीलांट गीताबाई को 1/12 हिस्सा मिल कर नामा.तस्दीक होना चाहिये था। नामा.सं. 959 में त्रुटि होने से अपीलांट का नाम

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:03:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

खरीदशुदा आराजी में नहीं आ सका जबकि मौके पर 1/12 हिस्से में अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट को दिनांक 31.08.2020 को नामा.की जानकारी होने हुई।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत माथनिया दिनांक 21.11.2005 नामा0सं0 959 खारीज कर अपीलांटस का नाम दर्ज किया जावे। अपील के साथ ग्राम चवण्डिया की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 357 की नकल व नामा.सं. 959 एवं रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 24.08.2005 की प्रमाणित प्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गई। रेस्पोडेन्ट सं. 4 , 5 , 7 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया।

वकील अपीलांटस बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया कि ग्राम चवण्डिया पटवार मण्डल माथनिया की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 357 की आराजी ख.नं. 1072 रकबा 1.06239 हेक्टर भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 959 दि. 21.11.2005 गलत दर्ज कर तस्दीक किया गया। अपीलांट एवं रेस्पोडट सं. 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी का 1/6 हिस्सा क्रय किया था परन्तु उक्त आराजी अकेली रेस्पोडेट सं. 1 के नाम दर्ज किया गया जो कि गलत है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम चवण्डिया की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 357 की आराजी ख.नं. 1072 रकबा 1.06239 हेक्टर भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 959 दि. 21.11.2005 निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को प्रकरण रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 24.08.2005 के अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

COURT 2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2021.12.17 14:03:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner